43

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
32 / 2021	15 / 02 / 2021	21 / 04 / 2025

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल जाति हरियाणा बाहमण निवासी ग्राम गुढावास नेवर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर। (हाल तहसील आंधी)

वादी

बनाम

1. भगवाना पुत्र रामनाथ
2. छाजू पुत्र रामनाथ
3. धन्नालाल पुत्र रामनाथ
4. रामकरण पुत्र रामनाथ
5. हरसहाय पुत्र रामनाथ
6. गजानन्द पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल
7. रूकमणी उर्फ संतोष पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल
8. मूली देवी पत्नि स्व0 श्री शंकरलाल
   समस्त जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासीयान ग्राम गुढावास नेवर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर। (हाल तहसील आंधी)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर। (हाल तहसील आंधी)
10. उप पंजीयक महोदय जमवारामगढ जिला जयपुर, राजस्थान।(हाल तहसील आंधी)

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :— वकील वादीगण।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादीगण की ओर से एड0 श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा0.0400है0, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.2800है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.4200है0, खसरा नम्बर 5 रकवा 0.8000है0, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.3000है0, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.5200है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.3600है0 स्थित ग्राम गुढावास नेवर, पटवार हल्का नेवर, तहसील जमवारामगढ, हाल तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस—नरस के अनुसार हक व हिस्से तथा कब्जे एवं रास्ते को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 23.09.2024 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला—जयपुर

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी की आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आपत्ति कुर्रेजात खारिज की गई।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम गुढावास नेवर, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
गजानन्द पुत्र शंकरलाल हि0 1/28, छाजू पुत्र रामनाथ हि0 1/7, धन्नालाल पुत्र रामनाथ हि0 1/7, बाबूलाल पुत्र शंकरलाल हि0 1/28, भगवाना पुत्र रामनाथ हि0 1/7, मूली देवी पत्नि शंकरलाल हि0 1/28, रूकमणी उर्फ संतोष पुत्र शंकरलाल हि0 1/28, रामकरण पुत्र रामनाथ हि0 1/7, हरसहाय पुत्र रामनाथ हि0 1/7 समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह खातेदार	18 205 219 5 57 75	0.0400 0.2800 0.4200 0.8000 0.3000 0.5200	गै.मु.बाडा चाही 2 बारानी 1 चाही 1 चाही 3 चाही 2	–
योग	किता 6	2.3600	–	–

–: प्रस्तावित :–

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
बाबूलाल पि0 शंकरलाल हि0 1/4 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह, गंजानन्द पि0 शंकरलाल हि0 1/4 हरि0ब्रा0 सा0देह, मूली देवी पत्नि शंकरलल हि0 1/4 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह, रूकमणी उर्फ संतोष पुत्री शंकरलाल हि0 1/4 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार।	5/1 75/1 219/1	0.11 0.07 0.15	चाही 1 चाही 1 बारानी 1	–
योग	किता 3	0.33	–	I–
छाजू पुत्र रामनाथ हि0 1/6 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह, धन्नालाल पि0 रामनाथ हि0 1/6 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह, भगवाना पि0 रामनाथ हि0 1/6 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह, रामकरण पि0 रामनाथ हि0 1/3 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह राहिन हि0 1/3 पूर्ण खाता आईडीबीआई बैंक लि0 शाखा गीला की नांगल, हरसहाय पि0 रामनाथ हि0 1/6 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार	5 18 57 75 205 219	0.66 0.04 0.30 0.45 0.28 0.24	चाही 1 गै0मु0बाडा चाही 3 चाही 2 चाही 2 बारानी 2	–
योग	किता 6	1.97	–	–
शामलाती	5/2 219/2	0.03 0.03	चाही 1 बारानी 1	–
योग	किता 2	0.06	–	I–

[illegible] अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर